

तारीख
हुपम
हुपम - तैस्की तह नगर
हुपम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3-7-15 आज पनाबली राजस्व लोन अकाउंट की ममान
न्यायालय अंतर्गत 2015 के म हिदायती के
प्रस्तुत हुई। के म के दौरान प्रार्थी लक्ष्मणसिंह
पुन फौजा सिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर
ने के द्वारा कि प्रार्थी के पक्ष में ल नं 10
वाले ग्राम तैस्की के हिस्सा 4/6 का बयनाप
दिनांक 19.5.15 से केवल राजस्व रिकॉर्ड में
कापे बचत प्रस्तुत किया, जिसकी बचत
परवाले हस्ता की रिकॉर्ड प्रस्तुत हुई कि -
" श्रीमान श्री वाले ग्राम तैस्की में उक्त बयनाप
का इ.नं 1239 पर दाखिला खासिज दर्ज है। एवं
न्यायालय की मान लक्ष्मण कलैक्टर नगर डा. 5-6-15 से 13-7-15 तक स्थगित जारी है।" इस
रिकॉर्ड के प्राप्ति होने पर हस्ता राजस्व लोन के
प्रस्तुत बयनाप को कोर्टो उल्लेख कर अवलोकन
किया जिससे स्थायीत होता है कि यह बयनाप
दिनांक 19.5.15 से माननीय न्यायालय अपरा-
जिला जज सं. 2 डी.ग जिला मल्हारा के आदेशाद्वारा
प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुन फौजा सिंह जाति रामसिंह
के ग्राम कूथनी खेड़ी तह नगर के पक्ष में
रुपाया है, जिसका अंकन इस बयनाप के हजे
के कारण सका हुआ है। चूंकि प्रार्थी ने
प्रार्थना-पत्र न्यायालय द्वारा बयनाप
पंजीकृत कराने के पश्चात तबसे ही कुपाते
हुए यह प्रार्थना प्रस्तुत कर गलत तबसे के
अध्याप पर एक पक्षीय स्थगित जारी किया
तथा न्यायालय को सुमराह किया है जिससे
प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः
दिनांक 5-6-15 को जारी T.1 खासिज किया जाता
है। पनाबली के लोन शुदा होने पर इस वाद के
लिय सैलम रहे।

(इजोरा चंद खडेलवाल)
सहायक जज

13-7-15
(हस्ता राजस्व लोन)
लेखिका
महाराज कलक्टर
पनाबली जज (फास्ट ट्रेक)